International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
e-ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(I), January - March, 2026, pp. 171-174

कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका (राजस्थान के संदर्भ में)

महेन्द्र कुमार मीणा[1*] | डॉ. पवन वर्मा[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
[2]सह आचार्य, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।

[*]Corresponding Author: meena.mahendra007@gmail.com

Citation: मीणा, महेन्द्र एवं वर्मा, पवन (2026). कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका (राजस्थान के संदर्भ में). International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(01(I)), 171–174.

सार

किसान क्रेडिट कार्ड राज्य के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह किसानों को उनकी खेती, कटाई के बाद और अन्य वित्तीय ज़रूरतों के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करता है, जिससे साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होती है। यह अल्पकालिक उत्पादन व्यय, कृषि परिसंपत्तियों के लिए कार्यशील पूंजी, घरेलू उपभोग और पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में निवेश के लिए एकल–खिड़की, सरलीकृत ऋण प्रणाली प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को संस्थागत ऋण तक आसान पहुँच, समय पर पुनर्भुगतान के लिए कम ब्याज दर और फसल एवं दुर्घटना बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के माध्यम से लाभान्वित करता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के साथ, किसान खेती, फसल कटाई के बाद के खर्च, उपज विपणन ऋण, किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह शोधपत्र राजस्थान के कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका को संदर्भित करता है।

शब्दकोश: *किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि विकास, राजस्थान, कार्यशील पूंजी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना, ब्याज, जल प्रबंधन, सीमान्त या लघु किसान, कृषि विकास।*

प्रस्तावना

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है जो राज्य की लगभग 60.0 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है। कृषि को सामान्यतः प्राथमिक उद्योगों जैसे खनन, वानिकी और मतस्य पालन आदि के साथ वर्गीकृत किया जाता है। आज भी राज्य के अधिकतर किसान सीमान्त या लघु किसानों की श्रेणी में आते है जिनकी के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। इनमें से अधिकांश किसानों की पैदावार उनके परिवार की आवश्यकता की पूर्ति तक ही सीमित रहती है। राजस्थान में कृषि विकास का उद्देश्य प्रमुख कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना है, साथ ही कठोर जलवायु और सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने, जल प्रबंधन में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

राजस्थान भारत में दूध, मोटे अनाज, बाजरा और ग्वार गम का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दालों, तिलहन और ऊन का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 2021–22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है। गेहूँ, जौ और दालों जैसी पारंपरिक फसलों पर भारी निर्भरता है, जो विविधीकरण और मूल्यवर्धन के अवसरों को सीमित करती है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों और समग्र बुनियादी ढाँचे की कमी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

खेती में होने वाले खर्चो के लिए राज्य के किसान को पूर्व की फसल उत्पादकता पर निर्भर रहना पडता था या फिर अपने गांव के सेठ साहूकारों से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पडता था जिससे वे ऋण के कुचक्र में फसते चले जाते थे। एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पडता था और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता था। किसान कभी मूल राशि तो चुका ही नहीं पाता था तथा ब्याज के चक्कर में ही लगा रहता था।

किसानों की बढती हुई आत्महत्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है, साथ ही आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करना है, जिससे उधारकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार किसानों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट तथा 3 प्रतिशत का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है। सिसे उन्हे 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऋण उपलब्ध हो जाता है। इस योजना को अधिक सरल बनाने के लिए इसमें समय–समय पर परिवर्तन किये गये है।

किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए कई नवीन बैंकिंग उत्पादों में से एक है, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय संस्थानों से उनकी ऋण आवश्यकताओं, अधिमानतः उत्पादन ऋण को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अब फसल उत्पादन आवश्यकता के वित्तपोषण के अलावा कई नई सुविधाएँ शामिल की गयी हैं। जैसे उपभोग व्यय, कृषि परिसंपत्तियों का रखरखाव, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋण आदि। आज किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों के लिए सबसे सुविधाजनक बैंकिंग उत्पादों में से एक माना जाता है।

राजस्थान में कृषि विकास का उद्देश्य प्रमुख कृषि वस्तुओं के भारत के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना है, साथ ही कठोर जलवायु और सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने, जल प्रबंधन में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राजस्थान दालों, तिलहन और ऊन का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 2021–22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है। राज्य कठोर जलवायु परिस्थितियों और सीमित सिंचाई सुविधाओं का सामना करता है, जो फसल की पैदावार और उत्पादकता को कम करने में योगदान करते हैं। गेहूँ, जौ और दालों जैसी पारंपरिक फसलों पर भारी निर्भरता है, जो विविधीकरण और मूल्यवर्धन के अवसरों को सीमित करती है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों और समग्र बुनियादी ढाँचे की कमी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

किसान क्रेडिट कार्ड एक औपचारिक ऋण चैनल प्रदान करक किसानों को कर्ज के जाल में फँसने से बचाने में मदद करता है और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है। यह योजना ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, नकदी और वस्तुगत ऋण की कठोरता को दूर करती है, और बिना मौसमी मूल्यांकन के तीन वर्षों तक ऋण प्रदान करने की अनुमति देती है, जिससे यह किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाता है। समय पर धन की उपलब्धता के साथ, किसान बीज और उर्वरक जैसे आवश्यक इनपुट खरीदने, बेहतर

तकनीक का उपयोग करने और अपनी कृषि परिसंपत्तियों का रखरखाव करने में बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी है और इसमें किसानों के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा घटक शामिल है, जो फसल की विफलता या दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

साहित्य की समीक्षा

अहमद (2024)[1] ने अपने अध्ययन में पाया कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, व्यापार बाधाएँ और बाज़ार पहुँच, ग्रामीण गरीबी और जलवायु परिवर्तन, इक्कीसवीं सदी में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ कठिनाइयाँ हैं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास, जैसे पानी की कमी और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से मिट्टी का क्षरण, के कारण टिकाऊ कृषि पद्धतियों की आवश्यकता है। छोटे किसानों को भी बाज़ार पहुँच और व्यापार बाधाओं से जूझना पड़ता है, और ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली और छोटे किसानों की वित्तिय सहायता करने वाली नीतियाँ आवश्यक हैं।

श्रीजा और अन्य (2022)[2] ने अपने अध्ययन में पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को फसल की खेती के लिए उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकता के लिए बैंकिंग प्रणाली से संतोषजनक और समय पर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस अध्ययन में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चार गांवों में लाभार्थी किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना की दक्षता का विश्लेषण किया गया है। 40 किसानों पर किए गए अध्ययन में उन्होने पाया कि के.सी.सी का पूर्ण उपयोग लगभग 57.5 प्रतिशत था और लाभार्थी किसानों के बीच ऋणग्रस्तता 32 प्रतिशत थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जागरूकता बहुत कम है, इसलिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्ययन में पाया गया कि केवल 57.5 प्रतिशत किसान ही किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

मेहता एवं अन्य (2016)[3] ने अपने अध्ययन जो भारत में ग्रामीण ऋण प्रदान करने में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका पर केंद्रित है में पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय क्रेडिट सुविधा बनकर उभरा है. इस अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया कि दलालों की भूमिका को कम करने के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों के लाभ के लिए पर्याप्त धन दिया जा सके। वास्तविक एवं जरूरतमंद किसानों का डाटाबेस बनाया जाना चाहिए ताकि उन किसानों को ऋण दिया जा सके जिन्हें वास्तव में इस ऋण की आवश्यकता है। बैंकों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रदर्शन खराब है।

गांधीमथी और सुमैया (2015)[4] ने देश में कृषि ऋण के वितरण में किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली की भूमिका का मूल्यांकन किया। उन्होने पाया कि चयनित चरों में, वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ, कुल जमा, कृषि उत्पादन, भारतीय रिज़र्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों का उधार और केसीसी योजना की शुरूआत वित्तीय समावेशन निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि प्रतिगमन विश्लेषण और लॉगिट विश्लेषण ने साबित कर दिया कि केसीसी ने कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन में सुधार किया है।

---

[1] अहमद मोनताज अली (2014) रोल ऑफ एग्रीकलचर इन सस्टेनऐबल डवलपमेंट, जर्नल ऑफ इमर्जीग टैक्नोलॉजीज एण्ड इनोवेटिव रिसर्च, वाल्यूम 11 ईश्यू 8 पेज 81–86.

[2] श्रीजा वी, के चन्दाना एण्ड रामू जी ;2022द्धए ए स्टेडी ऑन इफैक्टिवनेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अमोंनग द बेनेफीशरी फामर्स इन नालगोण्डा डिस्ट्रीक, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मॉर्डेनाइजेशन इन इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड साईन्स, वाल्यूम 4 इश्यू 8 पेज 2038–2044.

[3] मेहता धर्मेन्द्र, त्रिवेदी हितेनद्र एवं मेहता नवीन (2016), इण्डियन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीमः एन एनालिटीकल स्टेडी, ब्रोड रिसर्च इन अकाउँटिंग, नेगोशिएशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एडयूसोफ्ट पब्लिशिंग, वाल्यूम 6 इश्यू 1 पेज 23–27.

[4] गांधीमथी एस एण्ड सुमैया एम (2015), रोल ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकलचरल क्रेडिट इन इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एण्ड सोशल सांईस, वाल्यूम 3 ईश्यू 2 पेज 464–4.

राजा मोहन और सुभा (2014)[1] के शोध के अनुसार केसीसी योजना वित्तीय संस्थानों से किसानों के लिए कृषि ऋण तक आसान पहुंच है। यह योजना किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान ऋण वितरण, पर्याप्त और समय पर ऋण की आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। स्वीकार्य और समय पर ऋण का प्रावधान भारत में क्रेडिट संस्थानों के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा हर साल जारी किए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष

राज्य का सतत विकास कृषि पर निर्भर करता है, जो सामाजिक समावेशन, आर्थिक विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। कृषि में उत्पादन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए सतत प्रथाओं, अत्याधुनिक तकनीक और प्रोत्साहित करने वाले कानूनों एवं वित्तिय सहयोग को लागू करने हेतु समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रकार की वित्तिय सहायता कृषि बाधाओं का सामना करके और अवसरों का लाभ उठाकर एक सतत भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। समय पर धन की उपलब्धता होने से किसान बीज और उर्वरक जैसे आवश्यक इनपुट खरीदने, बेहतर तकनीक का उपयोग करने और अपनी कृषि परिसंपत्तियों का रखरखाव करने में बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं, जिससे एवज में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है जो किसान के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को मजबूती प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अहमद मोनताज अली (2014) रोल ऑफ एग्रीकलचर इन सस्टेनऐबल डवलपमेंट, जर्नल ऑफ इमर्जीग टैक्नोलॉजीज एण्ड इनोवेटिव रिसर्च, वाल्यूम 11 ईश्यू 8 पेज 81–86
2. श्रीजा वी, के चन्दाना एण्ड रामू जी ;2022द्धए ए स्टेडी ऑन इफैक्टिवनेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अमोंनग द बेनेफीशरी फामर्स इन नालगोण्डा डिस्ट्रीक, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मॉर्डेनाइजेशन इन इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड साईन्स, वाल्यूम 4 इश्यू 8 पेज 2038–2044
3. मेहता धर्मेन्द्र, त्रिवेदी हितेनद्र एवं मेहता नवीन (2016), इण्डियन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीमः एन एनालिटीकल स्टेडी, ब्रोड रिसर्च इन अकाउॅटिंग, नेगोशिएशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एडयूसोफ्ट पब्लिशिंग, वाल्यूम 6 इश्यू 1 पेज 23–27
4. गांधीमथी एस एण्ड सुमैया एम (2015), रोल ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकलचरल क्रेडिट इन इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एण्ड सोशल सांईस, वाल्यूम 3 ईश्यू 2 पेज 464–472
5. राजामोहन एस एण्ड सुभा के (2014), किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन इण्डिया, ए फैसेट ऑफ फाईनेंशियल इन्क्लुजन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सांईटिफिक रिसर्च, वाल्यूम 3 इश्यू 10 पेज 234–236
6. मीणा एस.एस एण्ड रेडी जी.पी.(2013), ए स्टेडी ऑन ग्रोथ, पर्फोमेन्स एण्ड इम्पैक्ट ऑफ किसान क्रेडिट कार्डस् ऑन फार्मरस् इनकम इन राजस्थान, एन कॉनोमिक एप्रोच, द जर्नल ऑफ रिसर्च, वाल्यूम 41 इश्यू 3 पेज 1–144
7. कुमारा अंजनी, सिंह के एण्ड सिन्हा एसे.(2010),इन्सटीटयूशनल क्रेडीट टू एग्रीकलचरल सेक्टर इन इण्डिया, स्टेटस्, पर्फोमेन्स एण्ड डिटरमेंट, एग्रीकलचरल इकोनोमिक्स रिसर्च रिव्यू, वाल्यूम 23 इश्यू 1 पेज 253–264.

❑❑❑

[1] राजामोहन एस एण्ड सुभा के (2014), किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन इण्डिया, ए फैसेट ऑफ फाईनेंशियल इन्क्लुजन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सांईटिफिक रिसर्च, वाल्यूम 3 इश्यू 10 पेज 234–236.